अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

गैंगस्टर सत्र परीक्षण संख्या–116/2010
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उदय सिंह व अन्य

पत्रावली पेश हुई। मामले का अभियुक्त मोहन मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया। जबकि मामले के अन्य अभियुक्तों का न तो कोई हाजिरी माफी प्रस्तुत किया गया और न, ही अभियुक्तगण उपस्थित आये।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हे कि यह पत्रावली अभियुक्त उदय सिंह, नेत्रपाल व मोहन के विरूद्ध संचालित हो रही है। जबकि अभियुक्त कमल उर्फ कोमल की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित हो चुकी है।

अभियुक्तगण उदय सिंह व नेत्रपाल मामले में लगातार गैर हाजिर हैं, जिससे मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जिसके संदर्भ से अभियुक्त मोहन द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह अपने मामले का निस्तारण कराना चाहता है। जिसके आधार पर उसकी पत्रावली अन्य अभियुक्तों से पृथक कर निस्तारण किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मामले के अन्य अभियुक्तगण उदय सिंह व नेत्रपाल लगातार गैर हाजिर चल रहे हैं। जिससे मामले में साक्ष्य की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जिसके आधार पर मामले के अभियुक्त मोहन द्वारा स्वयं की पत्रावली को पृथक किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

मामले के समस्त तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त मोहन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर उसके मामले को निस्तारित किये जाने हेतु अन्य अभियुक्तगण की पत्रावली से उसकी पत्रावली पृथक किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अन्य अभियुक्तगण की पत्रावली से अभियुक्त मोहन की पत्रावली नियमानुसार पृथक किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह अन्य अभियुक्तगण की पत्रावली से अभियुक्त मोहन की पत्रावली पृथक व दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 28.07.2026 को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तदनुसार पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत तिथि को पेश हो।

अन्य अभियुक्तगण उदय सिंह व नेत्रपाल के विरूद्ध गैर जमानतीय आदेशिका तथा उनके जामिनदारों के विरूद्ध नोटिस जारी हो। आदेशिका का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पत्र प्रेषित हो।

तद्नुसार अन्य अभियुक्तगण के बावत पत्रावली नियत तिथि 28.07.2026 को वास्ते हाजिरी पेश हो।

दिनांकः 15–07–2026

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.07.15 17:29:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court